न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या 2018/00086 तारीख रजू 26/11/2018
प्रकरण संख्या 5/2018

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाई माधोपुर ——सायल(प्रार्थी)

बनाम

रामकेश उर्फ टुप्पी पुत्र श्री रामकल्याण मीणा निवासी नींदड़दा
पुलिस थाना सूरवाल जिला सवाई माधोपुर। —— गैरसायल (अप्रार्थी)

अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

दिनांकः– 02.04.2026

आदेश

थानाधिकारी पुलिस थाना सूरवाल के द्वारा अभियोग–पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के तहत जिला पुलिस अधीक्षक, सवाईमाधोपुर के माध्यम से इस न्यायालय में गैर सायल रामकेश उर्फ टुप्पी पुत्र श्री रामकल्याण मीणा निवासी नींदड़दा सवाई माधोपुर के विरूद्ध इस आशय का पेश किया है कि गैरसायल जो बाबा गैंग का लीडर तथा गैंग के अन्य सदस्यों के साथ लगातार आमजन के साथ गम्भीर मारपीट यथा हत्या का प्रयास, गम्भीर उपहति इत्यादि तथा सम्पत्ति के विरूद्ध (लूट, उद्दापन) आदि अपराधों को आदतन अंजाम देता है। गैर सायल कानून का पालन करने वाले आमजन को हिंसा व हथियार के बल का भय दिखाकर सरेआम फायरिंग कर सार्वजनिक शांति को भंग करने का आदी है। लोगों में इसके नाम की दहशत है एवं इसके बारे में सूचना देने से भी घबराते है।

अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्ध विभिन्न पुलिस थानो मे 11 अभियोग पंजीबद्ध होना बताया है। गैरसायल के विरूद्ध पंजीबद्ध निम्न 11 अभियोग की अद्यतन सूचना चाहे जाने पर थानाधिकारी सूरवाल द्वारा अभियोग–पत्र दाखिल होने के उपरान्त 6 अभियोग विभिन्न पुलिस थानों में और पंजीबद्ध होना बताया है। गैरसायल के विरूद्ध अंकित निम्नानुसार अपराध दर्ज करना, सजायाप्त होना थानाधिकारी के द्वारा अंकित किया है–

क्र.स.	मुकदमा नम्बर	दिनांक	धारा	नाम थाना	चार्जशीट नम्बर	चार्जशीट दिनांक	निर्णय दिनांक	फैसला
1	199/2013	19.09.13	323,341,50[illegible] आईपीसी	[illegible]	121/2013	30.09.2013	22/11/13	सजा
2	263/2014	14.09.14	323,341 [illegible]	[illegible]	15[illegible]/2014	30.09.2014	15/10/16	राजीनामा
3	253/2014	03.09.14	323,341,45[illegible] आईपीसी	[illegible]	[illegible]/2014	18.09.2014	07/02/20	सजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

4	308/2015	08.10.15	323,341 आईपीसी	मानटाउन	120/2015	27.10.2015	15/10/16	राजीनामा
5	385/2015	16.12.15	323,341,427 आईपीसी	मानटाउन	166/2015	28.12.2015	28/01/20	सजा
6	449/2015	25.08.15	365 आईपीसी	कोतवाली स0मा0	226/2015	11.08.2016	पेन्डिग न्यायालय	
7	367/2016	21.12.16	323,341 आईपीसी	मानटाउन	183/2016	29.12.2016	09.02.19	राजीनामा
8	58/2017	06.02.17	341,323,324,307/34 आईपीसी व 27 आर्म्स एक्ट	मानटाउन	206/2017	20.12.2017	10/03/22	सजा
9	436/2017	07.08.17	341,323,307,327 आईपीसी	कोतवाली स0मा0	342/2017	15.11.2017	13/02/20	सजा
10	497/2017	07.09.17	341,323,325,427/34 आईपीसी	कोतवाली स0मा0	344/2017	15.11.2017	18/11/19	दोष मुक्त
11	223/2018	05.10.18	143,332,353,382,307 आईपीसी	सूरवाल	136/2019	31.08.2019	वर्ष 2023	दोष मुक्त
12	184/2018	26.05.18	323,341,394 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट	मानटाउन	35/2019	18.03.2019	29/08/18	सजा
13	221/2018	03.10.18	143,323,382,307 आईपीसी व 3/25, 27,28 आर्म्स एक्ट	सूरवाल	97/2019	15.07.2019	पेन्डिग न्यायालय	
14	295/2018	04.06.18	147,148,149,341,323, 325,307,120 आईपीसी	कोतवाली स0मा0	230/2018	30.08.2018	17/12/2019	बरी
15	227/2019	22.08.19	3/25 आर्म्स एक्ट	सूरवाल	168/2019	31.10.2019	24/02/2025	दोष मुक्त
16	300/2021	28.07.21	147,149,341,323,427 आईपीसी	कोतवाली स0मा0	178/2021	21.09.2021	पेन्डिग न्यायालय	
17	318/2022	06.08.22	147,148,149,384,504 आईपीसी	मानटाउन	202/2022	26.09.2022	पेन्डिग न्यायालय	

गैरसायल को जारी नोटिस की पालना में गैरसायल दिनांक 04.03.2020 को उपस्थित हुए तथा गैरसायल की ओर से श्री धारासिंह राजोरा एडवोकेट द्वारा वकालातनामा पेश किया गया। प्रकरण में वकील गैरसायल को बहस हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी वकील गैरसायल द्वारा बहस नहीं सुनाई गई और ना ही बहस हेतु उपस्थित हुए। अतः सायल की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी द्वारा बहस में तर्क दिया कि गैरसायल के विरूद्ध अभियोग पत्र पेश करने तक कुल 11 प्रकरण विभिन्न धाराओं में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हुए हैं तथा अभियोग पत्र पेश होने के उपरान्त गैरसायल के विरूद्ध 6 अन्य प्रकरण विभिन्न धाराओं में विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हुए है। उक्त प्रकरणों में से 6 प्रकरणों में उसे दोष सिद्ध कर सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है। गैर सायल के विरूद्ध आमजन के साथ ... तथा हत्या का प्रयास, गम्भीर उपहति इत्यादि गंभीर प्रकृति के अपराध दर्ज हु... पालन करने वाले आमजन को हिंसा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

सार्वजनिक शांति को भंग करने का आदी है।
हथियार के बल का भय दिखाकर सरेआम फायरिंग कर
लोगों में इसके नाम की दहशत है एवं इसके बारे में सूचना देने से भी घबराते हैं।

अतः गैरसायल की आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु एवं समाज में व्यवस्था बनाये रखने हेतु उसे एक निश्चित अवधि के लिए जिला बदर किया जावे ताकि शहर की आम जनता को शांति व सकून मिले।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर चिंतन मनन किया गया। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख) में "गुण्डा" शब्द को परिभाषित किया गया है। गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (ख)(3) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित 6 अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्व करार दिया जा चुका है। अतः गैरसायल "गुण्डा" की श्रेणी में आता है। गैर सायल की गतिविधियां एवं प्रवृतिया अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है जो थाना क्षेत्र सूरवाल, मानटाउन एवं कोतवाली सवाई माधोपुर के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है। गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैर सायल जिले में राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(3) में वर्णित कृत्य कारित करने में संलिप्त है तथा गैरसायल के विरुद्ध धारा 3 की उपधारा 1 के खण्ड (क)(ख)(ग) की स्थितियां विद्यमान है। गैरसायल के कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिए अभिशाप है।

अतः राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही करते हुए गैर सायल रामकेश उर्फ टुप्पी पुत्र श्री रामकल्याण मीणा निवासी नींदड़दा सवाई माधोपुर को "गुण्डा" घोषित करता हूं तथा गैरसायल को 30 दिवस की अवधि के लिए सवाई माधोपुर जिले की सीमा से बदर कर थाना इन्दरगढ जिला बूंदी के लिए निष्कासित किये जाने का आदेश देता हूं। थानाधिकारी थाना सूरवाल को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित तिथि से 15 दिवस पश्चात् गैरसायल को 30 दिवस की समयावधि के लिए बूंदी जिले के थाना इन्दरगढ पर रहने हेतु थानाधिकारी थाना इन्दरगढ जिला बूंदी को सुपुर्द करें। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे। गैरसायल वहां रहने की जानकारी के लिए थाने में प्रतिदिन अपनी उपस्थिति देगा तथा 30 दिवस की समाप्ति से पूर्व जिला सवाई माधोपुर के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर/थानाधिकारी सूरवाल को एवं एक प्रति पुलिस अधीक्षक बूंदी/थानाधिकारी, थाना इन्दरगढ जिला बूंदी को भेजे व एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:12:26 IST
Reason: SelfAttested

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाईमाधोपुर